237वें सत्र से संबंधित समापन भाषण

श्री सभापति: राज्य सभा का 237वाँ सत्र जिसमें पिछले सप्ताह ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई विधायी कार्य नहीं हो पाया है, पिछले तीन दिनों में कुछ विधायी कार्य निपटाने के बाद आज मध्याह्न पश्चात समाप्त हो रहा है।

मैंने महासचिव से इस सत्र के दौरान निपटाए गए कार्य के संबंध में सांख्यिकीय आंकड़े माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराने के लिए कहा है।

सभा की कार्यवाही में व्यवधान को, हालांकि यह कोई हाल की घटना नहीं है, सभा के विभिन्न वर्गों/दलों द्वारा दिए गए तर्क के आधार पर उचित ठहराए जाने का प्रयास किया जाता रहा है लेकिन इससे कार्य समय की हानि और सूचीबद्ध कार्य की उपेक्षा होती है। व्यवधान से माननीय सदस्य अपने उस अवसर से वंचित रह जाते हैं जो कि शून्य काल के समय उठाए जाने वाले मुद्दों/प्रश्नों/चर्चाओं और वाद-विवाद के माध्यम से लोक हित के प्रश्नों पर कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करते हैं। इससे विधायी प्रस्तावों की ठीक से जांच करने के अवसर भी कम हो जाते हैं।

इस स्थिति के लिए कभी -कभी विभिन्न वर्गों की राय में सभा की कार्यवाही पर अनुशासनिक नियंत्रण की कमी होना बताया जाता है। इस संपूर्ण प्रकिया में कार्य संचालन प्रक्रिया संबंधी नियमों की सीमाओं, जिन धारणाओं को लेकर इन्हें बनाया गया है, उनकी सीमाओं और सभापीठ द्वारा सभा में मर्यादा और इसकी शुचिता को बनाए रखने के बारे में समय -समय पर दी गई विभिन्न व्यवस्थाओं और समुक्तियों की भी अनदेखी होती है। अमर्यादित भाषा और व्यवहार से सभा की कार्यवाही में न केवल व्यवधान होता है बल्कि इससे सूचीबद्ध कार्य भी नहीं हो पाता है और परिणामतः सदस्यों के विशेषाधिकार का भी उल्लंघन होता है। इससे संसदीय प्रकिया और हमारी उसके प्रति प्रतिबद्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस धारणा को दूर किया जाना नितांत आवश्यक है।

सभापीठ इस बात को समझती है कि राजनीतिक दल लोगों की भावनाओं के अनुरूप कार्य करते हैं, अतः सामान्य अनुशासनिक प्रक्रियाएं उतनी प्रभावी नहीं रह पाती हैं। इसके विपरीत आत्म-अनुशासन और उद्देश्यों की पूर्ति के प्रति वचनबद्धता और विधायी निकाय के उद्देश्यों को पूरा करना होता है। तीन सप्ताह पहले 1 दिसंबर को राज्य सभा द्वारा संविधान के सिद्धांतों और आदर्शों के प्रति वचनबद्धता प्रदर्शित की गई थी। एक सुचारू रूप से कार्य करने वाला विधानमंडल इन सिद्धांतों की अनदेखी नहीं कर सकता और व्यवधान उत्पन्न करना इसे नकारना है। इस सत्र के दौरान का कार्यवृत्त इस बात का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है:

सभापीठ माननीय सदस्यों से यह अपील करती है कि:

- इस स्थिति पर आत्म चिंतन करें,
- राज्य सभा के महत्व को कम करने वाले दृष्टिकोण और आचरण से बचें, और
- कार्यसंचालन और प्रक्रिया संबंधी नियमों के अधीन माननीय सदस्यों को प्राप्त ऐसे सभी अवसरों का पूरा उपयोग करें जिससे कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

इससे पहले कि हम विदा लें, मैं आप सभी को क्रिसमस और नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ।